

फेक न्यूज़ पर अंकुश

>

यह एडिटरियल 18/02/2023 को इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित “Stronger laws to curb fake news” लेख पर आधारित है। इसमें ‘फेक न्यूज़’ के मुद्दे और इस पर अंकुश के तरीकों के बारे में चर्चा की गई है।

संदर्भ

इंटरनेट युग में फर्ज़ी ख़बरों या ‘फेक न्यूज़’ (Fake News) का उभार एक नई सामाजिक बुराई के रूप में हुआ है जो हमें परेशान कर रही है।

- हाल ही में एक फर्ज़ी वीडियो का प्रसार हुआ जिसमें दखिा कतिमलिनाडु में एक प्रवासी मज़दूर पर हमला किया जा रहा है।
- मौजूदा स्थिति पर चिन्ता तमलिनाडु सरकार ने अपने संदेश में कहा कि जो लोग यह अफवाह फैला रहे हैं कतिमलिनाडु में प्रवासी श्रमिकों पर हमला किया जा रहा है, वे भारतीय राष्ट्र के वरिद्ध हैं और वे देश की अखंडता को हानि पहुँचा रहे हैं।
- [राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो](#) के अनुसार वर्ष 2020 में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 505 के तहत ‘फर्ज़ी/झूठी ख़बर/अफवाह का प्रसार’ करने वाले लोगों के वरिद्ध दरज मामलों की संख्या में 214% की वृद्धि हुई।
- भारत में फेक न्यूज़ के वरिद्ध सुदृढ़ कानूनों की ज़रूरत है, जबकि मीडिया संगठनों द्वारा तथ्य-परीक्षण (fact-checking) को एक नियमिा अभ्यास के रूप में अपनाने और अधिक से अधिक जन जागरूकता का सृजन करने की आवश्यकता है।

भारत में फेक न्यूज़ पर अंकुश लगाने की राह की चुनौतियाँ

- नमिा डजिटल साक्षरता:**
 - भारत की डजिटल साक्षरता दर (Digital Literacy Rate) अभी भी कम है, जिससे फेक न्यूज़ का प्रसार आसान हो जाता है, क्योंकि लोगों के पास प्रायः समाचार स्रोतों की प्रामाणिकता को सत्यापित करने का कौशल नहीं होता है।
 - [Oxfam की ‘इंडिया इनइकवलिटी रिपोर्ट 2022: डजिटल डिविड’](#) के अनुसार, देश की लगभग 70% आबादी डजिटल सेवाओं के लयि कनेक्टिविटी के अभाव या खराब कनेक्टिविटी की स्थिति रखती है।
 - नरिधनतम 20% परिवारों में से केवल 2.7% के पास कंप्यूटर और 8.9% के पास इंटरनेट की सुविधा है।
- राजनीतिक उपयोग:**
 - भारत में राजनीतिक उद्देश्यों के लयि, वशिषकर चुनावों के दौरान, फेक न्यूज़ का प्रायः उपयोग किया जाता है। राजनीतिक दल जनमत में हेरफेर के लयि फेक न्यूज़ का उपयोग करते हैं, जिससे उनके प्रसार को नयितरति करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
- सीमिति तथ्य-परीक्षण अवसंरचना:**
 - भारत में तथ्य-परीक्षण अवसंरचना सीमिति है और कई मौजूदा तथ्य-परीक्षण संगठन (PIB तथ्य-परीक्षण इकाइयाँ) आकार में छोटे हैं तथा वरिधतपोषण की कमी का सामना कर रहे हैं।
- दंड का अभाव:**
 - वरतमान में भारत में फेक न्यूज़ के प्रसार के लयि कठोर दंड का अभाव है, जिससे लोगों को फेक न्यूज़ सृजन और प्रसार से भय दखिाकर रोकना कठिा हो जाता है।
- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की असपष्टता:**
 - सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तेज़ी से सार्वजनिक वमिर्श का प्राथमिक आधार बनते जा रहे हैं, जनि पर मुट्ठी भर लोगों का अत्यधिक नयितरण है।
 - भ्रामक सूचनाओं पर अंकुश लगाने में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है सोशल मीडिया मंचों द्वारा पारदर्शिता की कमी।
 - ये मंच कुछ प्रकार की सूचना का खुलासा करते भी हैं तो डेटा को प्रायः इस तरीके से प्रस्तुत नहीं किया जाता है जो आसान वशि्लेषण की सुविधा प्रदान करता हो।
- अनामकितता या पहचान की गुप्तता (Anonymity):**
 - पहचान की गुप्तता का सर्वप्रमुख कारण है प्रतशिधी सरकारों के वरिद्ध सच बोलने में सक्रम होना या ऑनलाइन वयक्त वचिारों को ऑफलाइन दुनिया में वास्तविक वयकर्ता से संबद्ध कयि जाने से बचना।

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/curbing-fake-news>

